मिसाल-बेमिसाल

बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति

मिनी बैंक की जमाओं से लिखी गई विकास की गाथा

-व्यावसायिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा

यह समिति दिनांक 04.09.1954 को पंजीकृत हुई थी, जिसकी पंजीयन संख्या 1252 आर है, इस समिति के पंजीयन के समय 15 सदस्य थे जिनकी हिस्सा राशि मात्र 30 रुपए थी जो बढ़ते–बढ़ते वर्ष 2013–14 में सदस्य संख्या 6390 एवं हिस्सा राशि 62.21 लाख हो गई पूर्व में कार्य क्षेत्र कृषि भूमि निरन्तर आवासीय में परिवर्तित होने से समिति के व्यवसाय में निरन्तर कमी आती गई तथा समिति निरन्तर हानि में चलती गई जिसे देखते हुए समिति की आमसभा में इसी घाटे में से लाभ में लाने पर गहनता से विचार विमर्श किया गया, इसी बीच जिला प्रशासन(सहकारिता) से प्राप्त सुझावानुसार समिति के क्रेडिकार्ड योजना में चयन करने हेतु पत्रादि तैयार कर विभाग को भिजवाए गए जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा समिति की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु नियमों में शिथिलता बरतते हुए समिति का वर्ष 1993–94 में क्रेडिकार्ड योजना में चयन किया जाने पर समिति की आमसभा में मिनी बैंक प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। शुभारम्भ के दिन ही समिति के मिनी बैंक में 70 हजार रुपए की अमानतें जमा हुई जो निरन्तर बढ़ती गई और आज 46 करोड़ के लगभग है। समिति मिनी बैंक की तीन शाखाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है।

अन्य समितियों से ली प्रेरणा

समिति शहरी क्षेत्र में होने से बैंकिंग सेवा में भी काफी प्रतिस्पर्धा से काम करना पड़ रहा है। शुरू में संचालक मण्डल के पदाधिकारी एवं नियोजित कर्मचारियों द्वारा आमजनता में अपनी साख बनाने एवं समिति को हो रही निरन्तर हानि से उभारने के लिए क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सहायता भी भविष्य में उपलब्ध करवाने एवं उनकी जमा राशियों की सुरक्षा से भी आश्वस्त किया लेकिन समिति शहरी क्षेत्र में होने एवं आस–पास बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों के होने से समिति मिनी बैंक प्रारम्भ के 2 वर्ष तक संतोषजनक कार्य नहीं कर सकी जिस पर समिति के संचालक मण्डल द्वारा अन्य जिलों की अच्छी समितियों का विजिट कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समिति के मुख्य कार्यकारी को अधिकृत किया। जिसके अन्तर्गत बूंदी जिले की अरनेठा जीएसएस, कापरेन जीएसएस, सुन्दा जीएसएस व जयपुर जिले की बीलवा समिति, जोधपुर जिले की बिलाड़ा समितियों की कार्य प्रणाली एवं उनके द्वारा अपने सदस्यों को दी जा रही सेवाओं का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन समिति के संचालक मण्डल के समक्ष रखा, जिस पर संचालक मण्डल द्वारा अमानतें प्राप्त कर अमानतों से ऋण वितरण करने आदि की नीतियां बनाकर समय–समय पर विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर तथा योग्यजनों के परामर्श एवं सुझावों के अनुसार अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध करवाने हेतु ऋण नीति तैयार कर आमसभा से स्वीकृत करवा कर शुरू में

15000रुपए की ऋण सीमा से 5 लाख तक व आज 15 लाख तक के ऋण वितरण कर रही है। समिति के पास पर्याप्त स्थान नहीं होने से अन्य व्यवसाय नहीं कर पा रही है और आज समिति का मुख्य व्यवसाय मात्र बैंकिंग ही है। समिति की मांग से ऋण का प्रतिशत 91 प्रतिशत से उपर है।

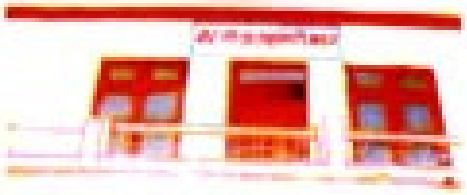

Good News